Azim Premji Philanthropic Initiatives

phia to end poverty

झारखण्ड ग्राम स्वशासन अभियान हेतू

ग्राम पंचायत मार्गदर्शिका

संवाद SAMVAD

AROUSE

ASRA

LOK JAGRITI KENDRA

मार्गदर्शिका लेखन
फिया टीम

प्रकाशक : फिया फाउंडेशन
प्रकाशन वर्ष : 2018

सहयोग : अज़ीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनिशिएटिव प्राईवेट लिमिटेड

मुद्रक : नियोन इंटरप्राइजेज

परिचय

यह मार्गदर्शिका फिया फाउंडेशन एवं सहयोगी संस्थानों के सुनियोजित एवं साझा प्रयास का परिणाम है। यह मार्गदर्शिका ग्राम स्वशासन अभियान से जुड़े परियोजना दल के कार्य को सहज एवं सरल बनाने के लिए तैयार की गई हैं।

फिया फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो सामाजिक बहिष्कार और गरीबी उन्मूलन के मुद्दो पर काम करती है। फिया फाउंडेशन नियंत्रित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी ग्रामीणों, जनजातियों एवं आदिम जनजातियों के विकास के लिए कई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है।

फिया फाउंडेशन ने एपीपीआई (अजीम प्रेमजी फिलैन्थ्रोपिक इनिशिएटिव) के साथ इस कार्यक्रम पर साझेदारी की है, जो स्थानीय लोकतंत्र को स्वशासन की संस्था बनाने और उन्हें मजबूत करनें पर केंद्रित हैं। इसे झारखंड के जामताड़ा, गुमला और पश्चिम सिंहभूम जिलों के 3 ब्लॉक के 40 पंचायत के 358 गाँवों में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाएगा।

एपीपीआई (अजीम प्रेमजी फिलैन्थ्रोपिक इनिशिएटिव) इस कार्यक्रम को झारखंड के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एवं राजस्थान में क्रियान्वित कर रही है।

ग्राम स्वशासन अभियान स्थानीय प्रशासन प्रणाली और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में ग्राम सभा के लिए एक बड़ी भूमिका के रूप में एक अवसर प्रदान करेगी।

हमें पूर्ण विश्वास है की यह मार्गदर्शिका परियोजना को संगठित रूप देने में परियोजना दल के लिए मददगार होगी।

विषय सूची

क्र.स.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	
2	ग्राम पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत का वार्ड में विभाजन	1
3	ग्राम पंचायत की बैठक की प्रक्रिया	
	i. बैठक की सूचना	
	ii. बैठक का कोरम एवं संचालन	
	iii. बैठक की कार्यवाही प्रक्रिया	2–3
4	ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण अभिलेख	4
5	ग्राम पंचायत की स्थायी समिति	5–7
6	ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत स्थायी समिति की बैठक	8
7	ग्राम पंचायत स्थायी समिति की बैठक का कोरम, ग्राम पंचायत स्थायी समिति में विनिश्चय की प्रक्रिया	9

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001, अध्याय – 3, धारा– 11 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गयी है।

1. ग्राम के लिए ग्राम पंचायत का गठन
2. प्रखंड के लिए पंचायत समिति का गठन
3. जिला के लिए जिला परिषद् का गठन

त्रिस्तरीय पंचायत राज

ग्राम पंचायत की संरचना

- प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से चुने गये सदस्यों व मुखिया से मिलकर बनेगी।
- ग्राम पंचायत को जिला गजट में अधिसूचित किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक की नियत तिथि से प्रभावी माना जायेगा बशर्ते बैठक का कोरम पूरा हो।
- ग्राम पंचायत में आबादी 5000 की जनसंख्या के निकटतम होगीं।

ग्राम पंचायत का वार्ड में विभाजन

- चुनाव के सुविधा के दृष्टिकोण से राज्य सरकार जिला दंडाधिकारी ग्राम पंचायत के क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्ड में विहित नियमों का पालन कर विभाजन करेगा ।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्ड में आबादी 500 की जनसंख्या के निकटतम होगीं।
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्ड में सीधे निर्वाचन द्वारा एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत की बैठक की प्रक्रिया

1. बैठक की सूचना

- बैठक की सूचना ग्राम पंचायत के कार्यालय पर चिपकाई जायेगी।
- बैठक की सूचना में बैठक का स्थान, तिथि, समय एवं एजेंडा होगीं।
- सात दिनों की सूचना पर साधारण बैठक एवं तीन दिनों की सूचना पर विशेष बैठक बुलायी जायेगी।
- सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बैठक में उपस्थित होने पर मताधिकार से वंचित होंगे।

2. बैठक का कोरम एवं संचालन

- ग्राम पंचायत के मुखिया एवं समस्त वार्ड सदस्यों की प्रत्येक महीने नियमानुसार बैठक होना है।
- बैठक के लिए न्यूनतम आधे निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित होगी।
- स्थगन के बाद पुनःआयोजित होनेवाली अगली बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
- फिर से बुलायी गई बैठक में एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और किसी नये विषय पर विचार नही किया जाएगा।
- बैठक की कार्य सूची कार्यवाही रजिस्टर में सचिव/मुखिया के परामर्श से तैयार की जायेगी।

3. बैठक की कार्यवाही प्रक्रिया

- बैठक की अध्यक्षता मुखिया द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में उप–मुखिया द्वारा की जायेगी।
- बैठक प्रत्येक महीने में न्यूनतम एक बार ग्राम पंचायत में की जायेगी।
- बैठक में समस्त प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के मतो के द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
- यदि मुखिया किसी माह में बैठक बुलाने में असफल रहता है, वैसी स्थिति में पंचायत सचिव पिछली बैठक की तिथि के 25 दिनों के समाप्ति के उपरांत अपने पंचायत के बैठक की सूचना जारी करेगा।
- यदि पंचायत के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य पंचायत की विशेष बैठक के लिए लिखित आवेदन करते हैं, तो मुखिया ऐसी बैठक आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर बुलाएगा।
- किन्तु, यदि मुखिया ऐसे आवेदन पर बैठक बुलाने में असफल रहता है, तो वे सदस्य जिन्होने विशेष बैठक के लिए अभ्यावेदन दिया है, स्वयं ही बैठक बुला सकेंगे।
- ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के सचिव का यह दायित्व होगा की वह बैठक बुलाने के लिए सूचना जारी करे।
- कार्यवाही बैठक की समाप्ति के 10 दिनों के अन्दर बैठक में उपस्थित सदस्यों को साझा किया जायेगा।
- कार्यवाही की एक प्रति 15 दिनों के अन्दर पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी को भेजा जायेगा।

ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण अभिलेख

- आगत एवं निर्गत पंजी
- भण्डार पंजिका
- भवनों एवं स्थाई सम्पत्तियों की पंजिका
- रोकड़ बही पंजिका
- जन्म–मृत्यु पंजिका
- खाता पंजिका
- कार्यवाही पंजिका
- रसीद बुक
- पत्रावली पंजिका
- निरीक्षण पंजिका
- निजी आय पंजिका
- राशन कार्ड पंजिका
- विकास कार्यो का मापी पुस्तिका
- विकास कार्य उपयोगिता प्रमाण–पत्र पंजिका
- शिकायत पंजिका
- सचिव डायरी
- ऑडिट रजिस्टर

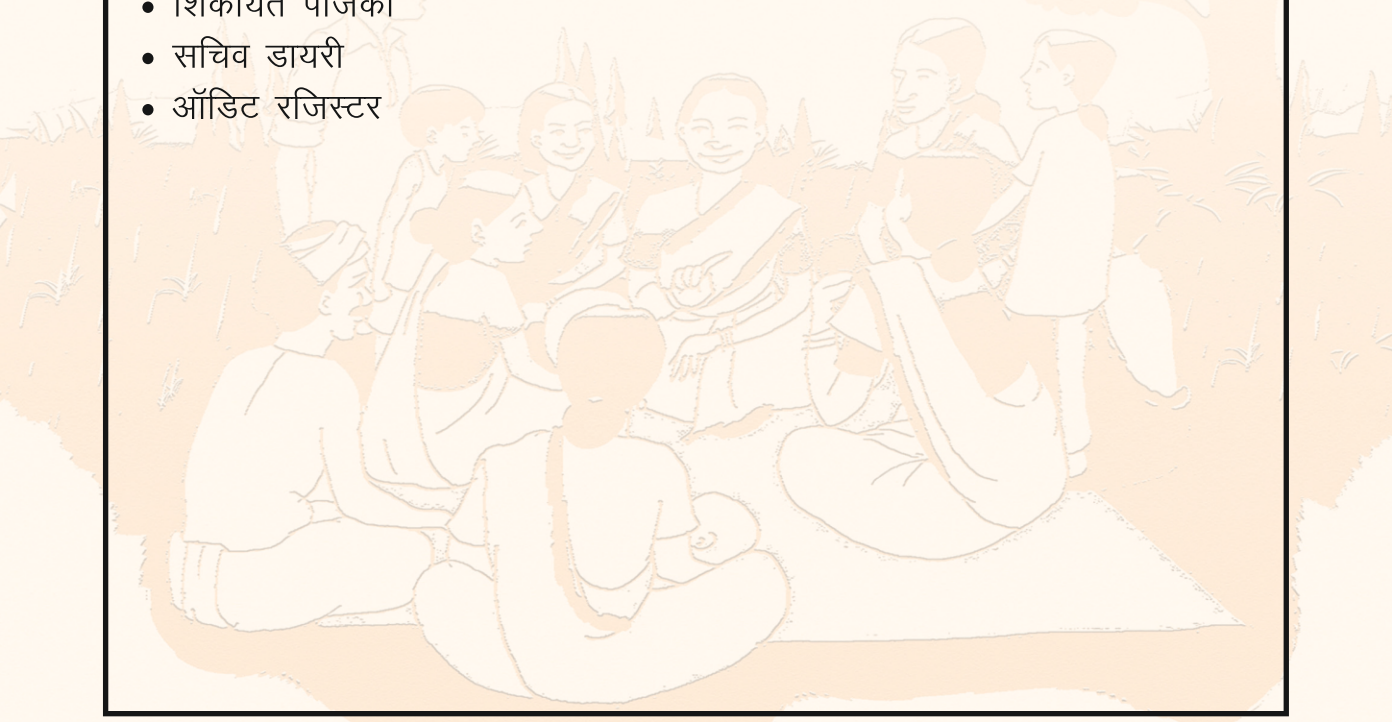

ग्राम पंचायत की स्थायी समिति

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001, अध्याय – 3, धारा– 71 के अनुसार ग्राम पंचायत अपने सभी दायित्वों तथा कर्तव्यों के प्रभावी निर्वाहन के लिए 7 स्थायी समिति का गठन कर सकेगी।

1. सामान्य प्रशासन समिति

- ग्राम पंचायत के प्रशासन की स्थापना और सेवाओं, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण का अनुमोदन, बजट, लेखा, कराधान, राजस्व, भूमि विकास व संरक्षण तथा किसी अन्य समिति को आवंटित न किये गये सभी अन्य विषय के साथ समस्त अन्य समितियों को प्रशासन एवं उनके प्रतिवेदन पर विचार विमर्श कर पंचायत को सुपुर्द करना।

2. विकास समिति

- पंचायत की अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में सभी विकास कार्य का पर्यवेक्षण, योजना का ले–आउट, भविष्य में निर्माण हेतु ग्राम पंचायत की परियोजनाओं का प्रस्ताव, ग्रामीण विद्युतीकरण, वन, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, डेयरी व कृषि, जल संसाधन, उद्यान व पार्क का निर्माण, सभी प्रकार की स्कीमों आदि पर विचार विमर्श कर पंचायत को सुपुर्द करना।

3. महिला, शिशु एवं सामाजिक कल्याण समिति

- ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित विकास एवं सामाजिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति व जनजातियों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए स्कीमों का निर्माण व क्रियान्वयन एवं विशेष कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा कर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना

4. स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरण समिति

- ग्राम पंचायत के क्षेत्र में स्थित सभी विद्यालयों का निरीक्षण, अनौपचारिक शिक्षा की जाँच व सहायता, वयस्क शिक्षा, आँगनवाड़ी, टीकाकरण जैसे समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहन व निरीक्षण, स्वास्थ्य केंद्रों व आँगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, पर्यावरण सुधार से संबंधित कार्यक्रमों में सहायता इत्यादि जैसे कार्यों पर चर्चा कर पंचायत को जानकारी देना।

5. ग्राम रक्षा समिति

- सामान्य निगरानी तथा आकस्मिक घटनाओं जैसे कि आगजनी, बाढ़, महामारी, डकैती जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रक्षा समिति का गठन किया जायेगा।
- गाँव के 18–30 वर्ष के शारीरिक रूप से योग्य व्यक्तियों का चयन ग्राम रक्षा समिति के लिए किया जायेगा।

6. सार्वजनिक संपदा समिति

- ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, खेल–कूद तथा श्रम, सार्वजनिक संपदा व उद्योग से संबंधित विषयों के संबंध में चर्चा कर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्ताव को प्रस्तुत करना ।

7. अधोसंरचना समिति

- ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचार सुधार एवं अधोसंरचना के मुद्दों पर प्रस्ताव कर ग्राम पंचायत के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत करना।

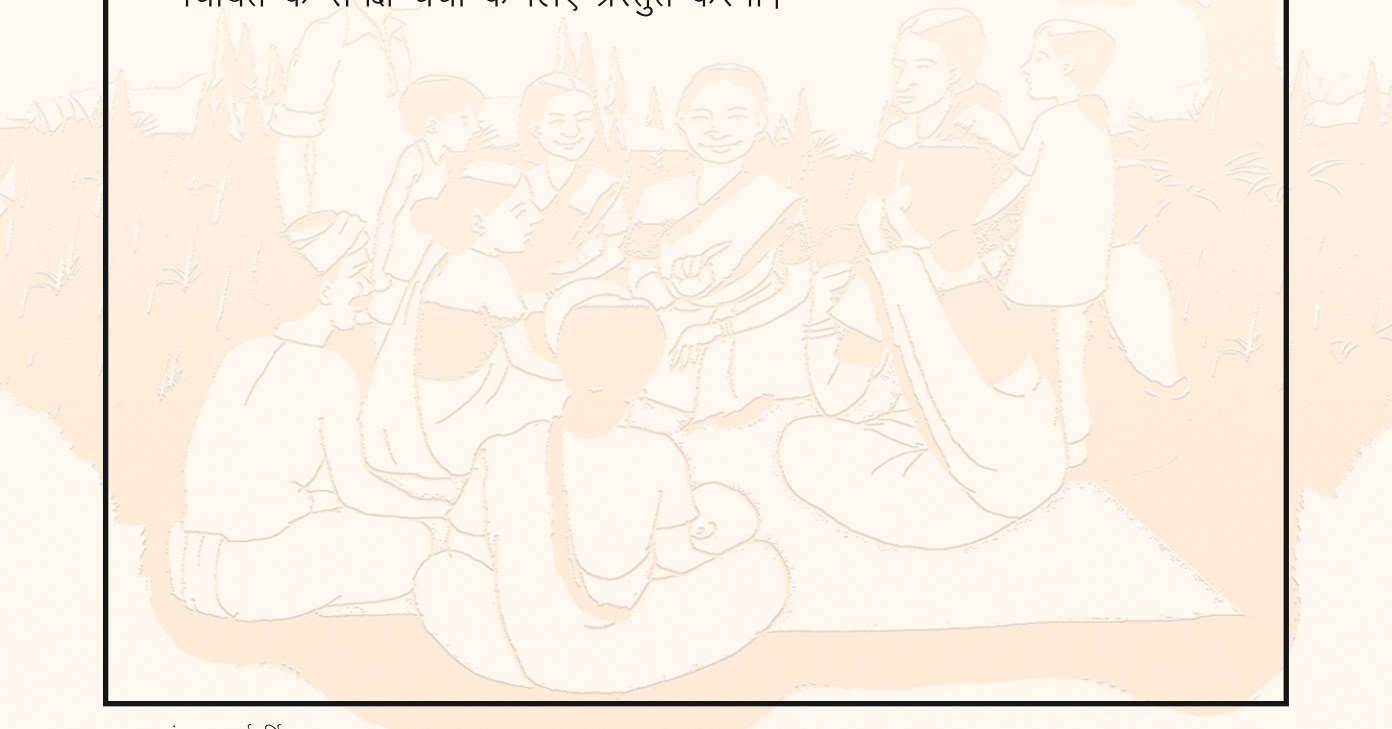

ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्य

- ग्राम पंचायत की प्रत्येक स्थायी समिति में 5 सदस्य होंगे।
- पंचायत द्वारा बुलाये गए विशेष बैठक में सदस्य अपनें बीच में से चुनाव करेंगे और एक समय में दो से अधिक स्थायी समिति में सदस्य नहीं होंगे।
- इन समितियों में मुखिया एवं उप–मुखिया पदेन सदस्य होंगे।
- ग्राम पंचायत का सचिव स्थायी समिति का पदेन सचिव होगा।
- महिला, शिशु एवं सामाजिक कल्याण समिति में महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत स्थायी समिति की बैठक

- प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक संबंधित समिति के सभापति द्वारा निश्चित की गई तारीख को पंचायत कार्यालय या किसी अन्य स्थान पर महीने में कम से कम एक बार होना चाहिए।
- बैठक की सूचना सदस्यों को तीन दिन पूर्व दी जायेगी। सूचना में बैठक की तारीख, समय, स्थान एवं बैठक के एजेंडा के संबंध में जानकारी दी जायेगी।
- सदस्यों को सूचना देने के साथ–साथ इसे पंचायत कार्यालय में भी प्रदर्शित किया जायेगा।
- प्रत्येक स्थायी समिति बैठक की तिथि का निर्धारण इस प्रकार करेंगे कि किन्हीं दो समितियों की बैठक एक ही तिथि व समय में संचालित न हो।
- स्थायी समिति के बैठकों की अध्यक्षता संबंधित स्थायी समिति के सभापति द्वारा की जायेगी।
- सभापति की अनुपस्थिति में समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चयनित सभापति द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

ग्राम पंचायत स्थायी समिति की बैठक का कोरम

- समिति की बैठक संचालित किये जाने के लिए कम से कम संबंधित समिति के आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- यदि किसी बैठक में आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो वैसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा बैठक को ऐसी तारीख व समय के लिए स्थगित कर सकता है जो उसके द्वारा निश्चित की जाये। स्थगित बैठक की नई तिथि ग्राम पंचायत के कार्यालय में चिपकाई जायेगी।
- इस प्रकार की स्थगित बैठक को फिर से बुलाने की स्थिति में कोरम की जरूरत नहीं होगी।
- इस प्रकार की स्थगित बैठक को फिर से बुलाने की स्थिति में किसी नये एजेंडा को शामिल नहीं किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत स्थायी समिति में विनिश्चय की प्रक्रिया

- स्थायी समिति की बैठक में लाये गये सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मत देनेवाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।
- स्थायी समिति सिर्फ उसे सौंपे गये मामलों का विनिश्चय करेगी। यदि मामले में वित्त का मसला भी संलग्न हो तो वैसी स्थिति में समिति अपने सुझावों के साथ मामले को पंचायत के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।
- यदि मामला एक से अधिक स्थायी समितियों का है वैसी स्थिति में मामले को पंचायत के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
- स्थायी समितियों की कार्यवाहियाँ स्थायी समिति की बैठक के बाद किये गये अगले बैठक में पंचायत के समक्ष रखी जायेगी।

Note

ग्राम स्वशासन अभियान

साझा प्रयास, सशक्त प्रयास, सही ग्राम विकास

आओ शपथ लें...

* ग्राम सभा में उपस्थित होंगे।
* ग्राम सभा में अपनी समस्याएं और मुद्दे रखेंगे और चर्चा करेंगें।
* ग्राम सभा में सवाल पूछेंगे।
* ग्राम सभा में फैसलों में भागीदारी करेंगें।
* ग्राम सभा में लिखे गए निर्णयों को पढ़वाकर सुनेंगे।
* ग्राम सभा में हस्ताक्षर करेंगें।
* गाँव की शिशु, किशोरी और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता का ध्यान रखेंगें।
* गाँव की सार्वजनिक सेवाओं जैसे आंगनवाड़ी, राशन दुकान, स्कूल, उप स्वास्थय केन्द्र आदि की समीक्षा एवं निगरानी करेंगें और उनमें आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करेंगें।
* वन ग्रामों, पुरानी बस्तियों, असर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की ओर कदम बढ़ायेंगें।
* परंपरागत रूप से जंगल से प्राप्त होने वाले संसाधनों जैसे जड़ी-बूटी, जानवर, फल फूल, पेड़, मिट्टी, पानी आदि का उपयोग एवं सुरक्षा करेंगें।
* जल संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों का विकास करके आजीविका सुरक्षा की ओर कदम बढ़ायेंगें।
* ग्रामीण सहभागिता से गांव के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना बनायेंगे।
* प्राथिमीकीकरण करके गाँव के वंचित परिवारों की विकास की ओर कदम बढ़ायेंगें।
* योजना क्रियान्वयन किए जाने पर निगरानी करेंगें ।
* गाँव में शिक्षा, रोजगार, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और सामाजिक रूढ़ियों की विकास की ओर कदम बढ़ायेंगें।

जन, जल, जंगल और जमीन हो ग्राम सभा के अधीन।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

फिया फाउंडेशन

अरण्य विहार, गली न० – 01,
नियर लाल गुटूवा
अपोजिट कंचन पेट्रोल पंप
दलादली रिंग रोड
राँची, झारखण्ड – 835303